गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 244 / बै.प्र. / **2024** बिलासपुर, दिनांक : 21.10.2024

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
विद्यापरिषद की स्थायी समिति,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 21.10.2024 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

–––0–––

महोदय / महोदया,

विषयान्तर्गत, दिनांक 21.10.2024 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 190वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ0 क्रमांक 245 / बै.प्र. / **2024** बिलासपुर, दिनांक : 21.10.2024

प्रतिलिपि :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. निदेशक, आईक्यूएसी / सहायक कुलसचिव–अकादमिक / प्रशासन / विकास / प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 21.10.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 21.10.2024 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
5.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
6.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एच.एस.तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
10.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
11.	डॉ0 बबिता माझी	सदस्य
12.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, डायरेक्टर–आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता–छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी
2. प्रो0 सीमा राय
3. प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति
4. श्रीमती श्वेता सिंह
5. डॉ0 एस. श्वेता

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में प्रेरणादायी उद्बोधन दिया एवं कुलपति महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 03.10.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 03.10.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 03.10.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 03.10.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

Ranadive
21-10-2024

21/10/2024

1/3

विषय क्र. 03. **प्रो0 नवीन शेठ, पूर्व कुलपति, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद की फार्मेसी विभाग में एड्जंक्ट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रो0 नवीन शेठ, पूर्व कुलपति, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद की फार्मेसी विभाग में एड्जंक्ट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 04. **दिनांक 04.10.2024 को आयोजित अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि दिनांक 04.10.2024 को आयोजित अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विषय सूची क्रमांक–1 के निर्णय को प्रसारित किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि विषय क्रमांक–2 के संबंध में फीडबैक लेने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रारूपित करने समिति का गठन किया जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 05. **सी.एस.आर. के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में माँ सरस्वती की प्रतिमा दो स्थलों पर संस्थापित करने के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सी.एस.आर. के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में माँ सरस्वती की प्रतिमा दो स्थलों पर संस्थापित करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 06. **जीजीवी–सुदामा योजना के नियमों में कतिपय कंडिकाओ में आंशिक परिवर्तन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जीजीवी–सुदामा योजना के नियमों में कतिपय कंडिकाओ में आंशिक परिवर्तन संब्रंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संदर्भ हेतु बैंक खाते का संचालन संयुक्त रूप से कुलसचिव या वित्ताधिकारी तथा अधिष्ठाता छात्रकल्याण करेंगे। इस हेतु संदर्भित नियम के खण्ड–3(3) में आवश्यक संशोधन कर लिया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 बैठक के दौरान आई.क्यू.ए.सी. कार्यालय में रखे शोध उपकरण के स्थानान्तरण पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि प्राणी विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो0 एल.व्ही.के. एस. भास्कर द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार उपकरणों को प्राणी विज्ञान विभाग भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाय। स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही विश्वविद्यालय यांत्रिकी शाखा के द्वारा पूर्व विभागाध्यक्ष, प्रो0 एल.व्ही.के.एस. भास्कर, वर्तमान विभागाध्यक्ष तथा भण्डार शाखा के सहयोग से सम्पन्न किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपलब्ध कराये गये सूची के अनुपयोगी उपकरणों को राईट ऑफ (विनष्ट) किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही भी सम्पन्न की जाय।

Ranadive 21-10-2024

21/10/2024

2/3

अ.अ.वि.क्र .02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष निर्देशक CDOE के द्वारा उपलब्ध कराये गये Manual for Financial Operation and Execution of Centre for Distance and Online Education प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रारूप पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर तथा सरस्वती महाविद्यालय, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के मध्य हुए समझौता ज्ञापन की सूचना एवं ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। स्थायी समिति ने समझौता ज्ञापन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

अ.अ.वि.क्र .04 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 10.10.2024 के कार्यवृत्त प्रस्तुत किये गये। उक्त कार्यवृत्त के विषयों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. विषय क्रमांक-1, 2 एवं 3 की सूचना ग्रहण की गई।
2. विषय क्रमांक-4 में प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया एवं इस हेतु ज्ञापन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. विषय क्रमांक-5 के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाताओं से प्राप्त अनुशंसाओं को अमान्य किया जाय तथा सुश्री मानसी तिग्गा के आवेदन पर विचार करते हुए प्रभावी विनियम के प्रावधानों के प्रकाश में परिणाम घोषणा संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

   स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किये जाने संबंधी विनियम 2021-22 के प्रावधानों, विशेष कर परीक्षा परिणाम घोषणा संबंधी प्रावधान के परीक्षण एवं उक्त प्रावधान को लागू किये जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रारूपित करने हेतु समिति का गठन किया जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।
4. विषय क्रमांक-6 में प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .05 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 15.10.2024 के कार्यवृत्त विचार हेतु प्रस्तुत किये गये। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत अनुशंसाओं में से विषय क्रमांक-1 एवं 2 के अन्तर्गत अनुशंसित प्रारूपों का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विषय क्रमांक-3, 4 एवं 5 पर प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं अनुशंसानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अ.अ.वि.क्र .06 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों के पहचान पत्र को जारी करने तथा इसमें होने वाले विलम्ब पर चर्चा की गई तथा स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि छात्रों के पृथक-पृथक पहचान पत्र तथा पुस्तकालय कार्ड के स्थान पर सिर्फ एक पहचान पत्र ही जारी किये जायें, जिसमें पुस्तकालय से संबंधित आवश्यक मापदण्ड, जारी होने वाले पहचान पत्र में समाहित किया जाय। इस संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (भण्डार) तथा ग्रंथपाल आवश्यक रूप से संयुक्त प्रयास करेंगे। उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु समन्वयक के रूप में दायित्व का निर्वहन परीक्षा नियंत्रक करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

Ravadive
21-10-2024

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

21/10/2024

कुलपति/अध्यक्ष

3/3.